अन्य उपयोगी जानकारियाँ

विधुत कनैक्शन लेने की प्रक्रिया- विधुत कनैक्शन लेने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र को पूर्णतः भरकर सम्बन्धित सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित राशि सहित प्रस्तुत करना होता है। कनैक्शन लेने का इच्छुक व्यक्ति राशि की जानकारी एवं फार्म भरने आदि में उपभोक्ता लिपिक से सहायता प्राप्त कर सकता है।

इसके पश्चात् सहायक अभियंता द्वारा तकनीकी साध्यता के अनुसार तकमीना बनाकर सम्बन्धित व्यक्ति को शेष राशि यदि कोई हो तो उस राशि का मांगपत्र उसके पते पर पेषित किया जाता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को मांगी गयी राशि के साथ अपने परिसर में कनैक्शन हेतु फिटिंग का प्रमाण पत्र (एल फार्म) देना होता है। एल फार्म विधुत निरीक्षक द्वारा अधिकृत एवं अनुज्ञापत्र धारक व्यक्ति/फर्म ही दे सकता है। तत्पश्चात सहायक अभियंता द्वारा कनैक्शन जारी करने का आदेश सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को पालनार्थ भेज दिया जाता है। सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता वरीयता के क्रम में विधुत कनैक्शन स्थापित कर देता है।

विच्छेदित विधुत कनैक्शन को दुबारा कराने की प्रक्रिया- स्थायी रूप से विच्छेदित विधुत कनैक्शन को कनैक्शन विच्छेद करने के पश्चात् निम्न अवधि में पुनः जुड़वाया जा सकता है- 1. कृषि श्रेणी उपभोक्ता - 2 वर्ष

2. औधौघिक उपभोक्ता- 1 वर्ष

3. अन्य उपभोक्ता - 6 माह

इस अवधि में विधुत उपभोक्ता को निश्चित प्रपत्र में पुनः कनैक्शन हेतु सम्बन्धित सहायक अभियंता के कार्यालय में अपनी खाता संख्या, सर्विस संख्या व श्रेणी का उल्लेख करते हुए आवेदन करना होता है। यह प्रपत्र सहायक अभियंता कार्यालय में उपलब्ध होता है। कनैक्शन को दुबारा जारी करने के लिये जोधपुर डिस्कॉम श्रेणी अनुसार निर्धारित फीस लेता है। निम्न दाब (एल.टी.) उपभोक्ताओं से सिंगल फेज एवं थ्री फेज हेतु पुनः कनक्शन शुल्क क्रमशः 200 रुपये एवं 600 रुपये निर्धारित है। अन्य श्रेणियों की जानकारी सहायक अभियंता कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

विधुत कनैक्शन विच्छेद कराने की प्रक्रिया- विधुत कनैक्शन का विच्छेदन कनैक्शन जारी होने के एक वर्ष की अवधि के पूरा होने के पश्चात् एक माह का नोटिस देते हुए करवाया जा सकता है। एक साल से पहले विधुत कनेक्शन विच्छेद करवाने के लिये एक वर्ष पूरा होने से शेष रही अवधि की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होता है। विधुत कनैक्शन विच्छेद कराने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपनी संपूर्ण देय राशि का भुगतान करना होता है। अंतिम भुगतान करते समय उपभोक्ता की जमा प्रतिभूति का भी समायोजन कर दिया जाता है। इस कार्य की कोई फीस नहीं ली जाती है।

विधुत भार बढ़वाने/घटवाने की प्रक्रिया- विधुत उपभोक्ता अपने स्वीकृत

विधुत भार को आवश्यकतानुसार बढ़वा/घटवा सकता है परंतु विधुत भार प्रारंभिक एक वर्ष की अवधि में घटवा नहीं सकता है। विधुत भार बढ़वाने अथवा घटवाने के लिये उसे सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में निश्चित प्रपत्र में अपने पूर्ण विवरण यथा- श्रेणी, खाता संख्या, स्वीकृत विधुत भार, वांछित विधुत भार आदि सहित आवेदन कर सकता है। इसके लिये सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा तकनीकी साध्यता की जांच कर तदनुसार मांगपत्र जारी किया जाता है। यदि श्रेणी परिवर्तन होता है तो उसे श्रेणी के अनुसार प्रतिभूति एवं अन्य मदों पर देय राशि का भुगतान करना होता है। यदि श्रेणी परिवर्तन नहीं होता है तो केवल प्रतिभूति राशि का अंतर देय होता है।

यदि विधुत उपभोक्ता स्वीकृत भार से वांछित विधुत भार के अंतर का 500 रूपये प्रति किलोवाट/एच.पी./के.वी.ए. की दर से पूर्ण रूप से आवेदन प्रपत्र भरकर एल फार्म के साथ सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करवा देता है तथा सहायक अभियंता से उसे किसी तरह की सूचना/स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तथा वह अन्य शर्तों को पूरी करता हो तो 30 दिन पश्चात् स्वतः विधुत भार बढ़ा हुआ मान लिया जायेगा। विधुत मीटर की जांच करवाने की प्रक्रिया- यदि उपभोक्ता अपने विधुत मीटर की दक्षता से संतुष्ट नहीं है तो वह अपने विधुत मीटर की जांच करवा सकता है। इसके लिये उसे सादा कागज पर अथवा मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिये निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित फीस के साथ आवेदन करना होता है। इस हेतु निम्नदाब (एल.टी.) उपभोक्ता को सिंगल फेज मीटर हेतु 3500 रुपये तथा थ्री फेज मीटर हेतु 70.00 रुपये शुल्क जमा करवाने होते हैं। अन्य श्रेणियों के लिये अलग-अलग शुल्क निर्धारित हैं जिनका विवरण सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

खातेदार का नाम बदलवाने की प्रक्रिया- यदि कोई विधुत उपभोक्ता अपने आवासीय/औद्योगिक परिसर को बेच देता है तो क्रेता को नियमानुसार विधुत कनैक्शन अपने नाम करवाने की सुविधा दी जाती है। इस हेतु क्रेता को सम्पत्ति क्रय करने का प्रमाण, निर्धारित आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क तथा प्रतिभूति राशि का अंतर सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करवाना होता है।

सामान्य शिकायतें दर्ज करवाने की प्रक्रिया- विधुत उपभोक्ता अपने परिसर में आने वाली विधुत आपूर्ति के बाधित होने पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकता है। इसके लिये जोधपुर नगर, बीकानेर नगर तथा श्रीगंगानगर में कॉल सेंटर की व्यवस्था की गयी है। जोधपुर नगर के समस्त विधुत उपभोक्ता दूरभाष संख्या 1912 पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। जहाँ कॉल सेंटर स्थापित नहीं किये गये हैं वहाँ अलग-अलग क्षेत्रों में उपभोक्ता शिकायत केंद्र स्थापित किये गये हैं जिन पर व्यक्तिशः अथवा दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

टैरिफ का निर्धारण- जोधपुर डिस्कॉम द्वारा अपने उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली टैरिफ का निर्धारण राजस्थान विधुत विनियामक आयोग द्वारा व्यापक जनसुनवाई के पश्चात किया जाता है। टैरिफ की सूचना के लिये अलग से "टैरिफ फॉर

सप्लाई ऑफ़ इलैक्ट्रीसिटी'' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है। जिसे सांकेतिक मूल्य (वर्तमान में 15.00) पर आम जन को उपलब्ध करवाया जाता है।

क्या कोई उपभोक्ता अपने आवासीय परिसर में स्थापित वाणिज्यिक संस्थान में घरेलू श्रेणी विधुत कनैक्शन से विधुत उपभोग कर सकता है? जोधपुर डिस्कॉम द्वारा अपने उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गयी है कि वे उन मामलों में अपने आवासीय परिसर में लगे घरेलू श्रेणी विधुत कनैक्शन से आवासीय परिसर में स्थित वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक इकाई में विधुत का उपभोग कर सकता है जिनमें कि-

(1.) वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक गतिविधि में कुल विधुत भार 2 किलोवाट से कम हो।

(2.) उस आवासीय परिसर की पंक्ति में तथा उसके सामने वाली पंक्ति में स्थित भवनों में दुकानों/वाणिज्यिक संस्थानों की संख्या कुल मकानों की 25 प्रतिशत अथवा उससे कम हो तथा

(3.) वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक इकाई को केवल घर के सदस्य ही मिलकर चलाते हों तथा कोई भी कर्मचारी नियुक्त न हो।

क्या कोई उपभोक्ता अपने आवासीय परिसर में घरेलू श्रेणी में दो विधुत कनैक्शन प्राप्त कर सकता है? जोधपुर डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं को एक आवासीय परिसर में एक नाम से एक ही घरेलू श्रेणी विधुत कनक्शन की सुविधा देता है। एक ही आवासीय परिसर में एक से अधिक परिवार रहते हों तो मकान मालिक की सहमति से अन्य परिवार/परिवारों को भी घरेलू श्रेणी विधुत कनैक्शन दे सकता है। यदि आवासीय परिसर में वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक संस्थान स्थापित है तो उसके लिये अघरेलू श्रेणी का एक और कनैक्शन लिया जा सकता है।

जोधपुर डिस्कॉम द्वारा किये जाने वाले पंजीकरण- जोधपुर डिस्कॉम द्वारा तीन तरह के पंजीकरण किये जाते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है-

1. संविदा पर कार्य करने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण- यह पंजीकरण मुख्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय तथा विभिन्न अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों से नियमानुसार पंजीकरण राशि/प्रतिभूति ली जाती है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदार को निविदा भरते समय धरोहर राशि में नियमानुसार छूट होती है।

2. विभिन्न श्रेणियों के आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण- यह पंजीकरण मुख्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय तथा विभिन्न अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों से नियमानुसार पंजीकरण राशि/प्रतिभूति ली जाती है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदार को निविदा भरते समय धरोहर राशि में नियमानुसार छूट होती है।

3. विधुत चोरी की सूचना देने वाले इन्फोर्मर्स का पंजीकरण- जोधपुर डिस्कॉम कार्यक्षेत्र में स्थित विधुत उपभोक्तओं के यहाँ हो रही विधुत चोरी की सूचना देने वाले व्यक्तियों को वसूल की गयी राशि में नियमानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस हेतु इन्फोर्मर्स को

अपना पंजीकरण जोधपुर डिस्कॉम में करवाना होता है। यह पंजीकरण मुख्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय तथा विभिन्न अधीक्षण अभियंताओं, सहायक अभियंताओं के कार्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत होने वाले इन्फोर्मर्स का नाम पता एवं पहचान गुप्त रखी जाती है तथा उनसे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है।

4. विज्ञापन एजेंसियों का पंजीकरण- जोधपुर डिस्कॉम के जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा विभिन्न निविदा सूचनाओं/विज्ञापनों का प्रकाशन करवाने के लिये आई.एन.एस एक्रीडेटेड एजेंसियों का पंजीकरण किया जाता है। इसके लिये एजेंसी को पचास हजार रुपये की प्रतिभूति जोधपुर डिस्कॉम में जमा करवानी होती है।

अन्य जानकारी- मीटर की धरोहर राशि, मीटर बॉक्स की कीमत, ट्रांसफार्मर का किराया, रीसीलिंग चार्जेज, विभिन्न कार्यों के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क, प्रार्थना पत्र के साथ जमा करवाई जाने वाली राशि, धरोहर राशि, डुप्लीकेट बिल जारी करवाने का शुल्क, अन्य नियमों आदि की जानकारियों एवं विभिन्न कार्यों हेतु देय शुल्क की संपूर्ण जानकारी हेतु जोधपुर डिस्कॉम द्वारा "टम्र्स एण्ड कण्डीशन्स फॉर सप्लाई ऑफ़ इलैक्ट्रीसिटी- 2004" का प्रकाशन करवाया गया है जिसे सांकेतिक मूल्य (वर्तमान में 30.00) पर आम जन को उपलब्ध करवाया जाता है।

विभिन्न प्रकार की पुस्तिकाओं का विक्रय-

जोधपुर डिस्कॉम द्वारा प्रकाशित की जाने वाली विभिन्न पुस्तिकओं यथा- टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ़ ऑफ़ इलैक्ट्रिीसिटी, टम्र्स एण्ड कण्डीशन्स फॉर सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रीसिटी, कृषि नीति, रैवेन्यू मैन्युअल आदि का विक्रय जोधपुर डिस्कॉम के जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इन पुस्तिकाओं को निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में विक्रय की जाने वाली पुस्तिकाओं का मूल्य इस प्रकार से है-

1. टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रिीसिटी - 15.00 रुपये 2. टम्र्स एण्ड कण्डीशन्स फॉर फॉर सप्लाई ऑफ़ इलैक्ट्रीसिटी - 30.00 रुपये 3. कृषि नीति - 10.00 रुपये 4. रैवेन्यू मैन्युअल - 75.00 रुपये

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य पुस्तिकाएं यथा मीटरिंग कोड, सप्लाई कोड, भी प्रकाशनाधीन हैं जो शीघ्र ही विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगी। सभी पुस्तिकाओं के अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करणों के प्रकाशन की योजना है।

जोधपुर डिस्कॉम का गठन राष्ट्रव्यापी ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के तहत तत्कालीन राज्य विधुत मंडल का विघटन करके किया गया था तथा इसी के साथ राजस्थान में दो अन्य विधुत वितरण निगम जयपुर एवं अजमेर, एक उत्पादन निगम जयपुर तथा एक प्रसारण निगम जयपुर भी अस्तित्व में आए थे। वर्तमान में राज्य में विधुत सम्बन्ध नीति में एकरूपता रखने के लिए पांचों विधुत निगमों ने एक समन्वय समिति की स्थापना की है जिसमें पांचों निगमों के उच्चाधिकारी एवं राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारी एक साथ बैठक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तथा ये निर्णय एक समान रूप से पांचों निगमों में लागू होते है।

राजस्थान सरकार ने विधुत की दरों को निर्धारित करने तथा विधुत वितरण, आहरण, प्रसारण एवं उत्पादन आदि कार्यों के लिए समान नियम बनाने हेतु राजस्थान राज्य विधुत विनियामक आयोग की स्थापना की है। यह आयोग समय पर विभिन्न कार्यों के लिए नीति निर्माण हेतु एवं विधुत आपूर्ति की दरों के निर्धारण हेतु विधुत निगमों से प्रस्ताव मंगवाता है तथा उनके सम्बन्ध में नीति बनाए जाने से पूर्व जन सुनवाई की व्यवस्था भी करता है।

इस प्रकार पूरे प्रदेश में नीतिगत फैसले एकरूपता लिए हुए है, ताकि जन सामान्य को किसी संशय, दुविधा एवं परेशानी नहीं हो।